

पंचा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजरव) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीछारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फि० न० 189/2025

1. खैर मोहम्मद पुत्र स्व० सुवासदाक जाति मुसलमान निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. पुषैल मोहम्मद पुत्र स्व० सुवासदाक जाति मुसलमान निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।



वनाम्  
वादीगण  
1. बेगमा पत्नी स्व० सुवासदाक जाति मुसलमान निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. जैनब पुत्री स्व० सुवासदाक पत्नी शाहनवाज जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. जेतुन बेगम उर्फ जेतुन पुत्री स्व० सुवासदाक पत्नी जलालदीन जाति मुसलमान निवासी खैरवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

4. सफईया उर्फ सफईया पुत्री स्व० सुवासदाक पत्नी कमालदीन जाति मुसलमान, खैरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. रफिया बेगम उर्फ रफिया बेगम पंवार पुत्री स्व० सुवासदाक पत्नी लियाकत अली पंवार जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं० 09, चक 28 ए.एस. -बी, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

6. कनीज फातमा पुत्री स्व० सुवासदाक पत्नी मोहम्मद युनस परखेज जाति मुसलमान निवासी सूरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

डिक्री

प्रतिवादीगण  
दिनांक.....13-06-25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री शशोकत अली व प्रतिवादी वकील अश्विन्द नेण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहगति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 18 एनजीसी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 124/122 में कुल 12640 है० नहरी मय में ०मु० आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार किये जाकर चक नं० 18 एनजीसी के खाता सं० 124/122 में से सुवासदाक का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजरव टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैक रहन है तो वह मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पचा डिक्री आज दिनांक 13-06-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजरव)  
सहायक कलक्टर टिब्बी